

बिहार सरकार  
गृह विभाग (आरक्षी शाखा)

अधिसूचना

पटना, दिनांक :-

ज्ञापांक-2/थाना-10-12/2016 गृ0आ0...../ दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम संख्या 2,1974) की धारा-2 (एस) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विषय में सरकार के पूर्व निर्गत विभागीय अधिसूचना सं0-8373, दिनांक 17.09.1990 को यथोचित आंशिक संशोधन करते हुए बिहार के राज्यपाल घोषित करते हैं कि कैमूर जिला के (विभाजन पूर्व रोहतास जिला) के कुछिला थाना के क्षेत्राधिकार के निम्नांकित 07 (सात) ग्राम यथा-कुछिला, सारंगपुर, बाबु का बहुअरा, गारा, पंडितपुरा, शिवपुर तथा परसियां डेरा सहित कुछिला एवं गारा पंचायत के निम्नांकित कुल 13 (तेरह) ग्राम एवं उसके स्थानीय क्षेत्र कोचस थाना, जिला-रोहतास, के क्षेत्राधिकार में शामिल होंगे।

क्र0स0	गाँव का नाम	राजस्व थाना का नाम
1	2	3
1.	कुछिला	कोचस
2.	सारंगपुर	कोचस
3.	बाबु के बहुअरा	कोचस
4.	गारा	कोचस
5.	पंडितपुरा	कोचस
6.	शिवपुर	कोचस
7.	परसियां डेरा	कोचस
8.	पथरा	कोचस
9.	नावानगर	कोचस
10.	चकियां	कोचस
11.	अन्हारी	कोचस
12.	तिवारीपुरा	कोचस
13.	पौवटडेरा	कोचस

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(देव नारायण मंडल)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 2/थाना-10-12/2016गृ0आ0...../पटना, दिनांक :-


प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित (सी0डी0 संलग्न)।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 2/थाना-10-12/2016गृ0आ0.234...../पटना, दिनांक :- 12/11/17

प्रतिलिपि :- पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/सभी क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी पुलिस अधीक्षक/निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0, मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के संयुक्त सचिव